न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 199 सन 2022
अनवान :–

1. रामादत पुत्र दयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र भीयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
2. महेन्द्र सिह पुत्र दानाराम उर्फ दयाराम जाति नाई निवासी भगूली तहसील नोहर।
3. मन्जू पुत्री दयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
4. पूनम पुत्री दयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
5. सुरस्वती पत्नी भीयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
6. इन्द्रावती पुत्री भीयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
7. ज्यानादेवी पुत्री भीयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
8. मायादेवी पुत्री भीयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
9. सुशीला पुत्री भीयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भगुली के खाता संख्या 19/24 की कुल 2.9590हैक्ट से 1/14 हिस्सा, व रोही मौजा भगुली के खाता संख्या 60/60 की कुल 12.0140हैक्ट में से 1/5 हिस्सा, तथा रोही मौजा भगुली के खाता संख्या 58/59 की कुल 40.9610हैक्ट में से 1057/204805 हिस्सा व 9706/204805 हिस्सा भूमि भीयाराम पुत्र भूराराम उर्फ भीयाराम उर्फ भूरा के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व मे वादी के पूर्वज भूरराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद वाद भूमि भीयाराम पुत्र भूराराम के नाम दर्ज हुई है वाद भूमि भीया पुत्र भूराराम , , भीया पुत्र भूरा के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता भीयाराम पुत्र भूराराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार वाद भूमि पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी सख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 3 ,4 वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 वादी की दादी प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 वादी की बुआ और भीयाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की भीयाराम पुत्र भूराराम जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

1 ता 9 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व मे वादी के पूर्वज भूराराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उसके पुत्र भीयाराम पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज हुई जिनका भी देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भगुली के खाता संख्या 19/24 की कुल 2.9590हैक्‍ से 1/14 हिस्सा, व रोही मौजा भगुली के खाता संख्या 60/60 की कुल 12.0140हैक में से 1/5 हिस्सा, तथा रोही मौजा भगुली के खाता संख्या 58/59 की कुल 40.9610हैक में से 1057/204805 हिस्सा व 9706/204805 हिस्सा भूमि भीयाराम पुत्र भूराराम उर्फ भीयाराम उर्फ भूरा के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व मे वादी के पूर्वज भूरराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद वाद भूमि भीयाराम पुत्र भूराराम के नाम दर्ज हुई है वाद भूमि भीया पुत्र भूराराम , , भीया पुत्र भूरा के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता भीयाराम पुत्र भूराराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार वाद भूमि पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी सख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 3 ,4 वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 वादी की दादी प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 वादी की बुआ और भीयाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगुली के खाता संख्या 19/24 की कुल 2.9590हैक्‍ से 1/14 हिस्सा, व रोही मौजा भगुली के खाता संख्या 60/60 की कुल 12.0140हैक में से 1/5 हिस्सा, तथा रोही मौजा भगुली के खाता संख्या 58/59 की कुल 40.9610हैक में से 1057/204805 हिस्सा व 9706/204805 हिस्सा भूमि भीयाराम पुत्र भूराराम उर्फ भीयाराम उर्फ भूरा के नाम सें दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज भूराराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद वाद भूमि उनके पुत्र भीयाराम के नाम से दर्ज हुई भीयाराम पुत्र भूराराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगुली के खाता संख्या 19/24 की कुल 2.590हैक में से 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 60/60 की कुल 12.0140हैक मे से 1/5 हिस्सा व खाता संख्या 58/59 की कुल 40.9610हैक में से 1057/204805 हिस्सा , व 9706/204805 हिस्सा भूमि भीया उर्फ भीयाराम पुत्र भूरा उर्फ भूराराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो 1/3– 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामादत पुत्र दयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 दयाराम पुत्र भीयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
2. महेन्द्र सिह पुत्र दानाराम उर्फ दयाराम जाति नाई निवासी भगूली तहसील नोहर।
3. मन्जू पुत्री दयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
4. पूनम पुत्री दयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
5. सुरस्वती पत्नी भीयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
6. इन्द्रावती पुत्री भीयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
7. ज्यानादेवी पुत्री भीयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
8. मायादेवी पुत्री भीयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
9. सुशीला पुत्री भीयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 199 सन 2022 निर्णय दिनांक– 21/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगुली के खाता संख्या 19/24 की कुल 2.590हैक् में से 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 60/60 की कुल 12.0140हैक मे से 1/5 हिस्सा व खाता संख्या 58/59 की कुल 40.9610हैक में से 1057/204805 हिस्सा , व 9706/204805 हिस्सा भूमि भीया उर्फ भीयाराम पुत्र भूरा उर्फ भूराराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो 1/3– 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

संशोधित पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामादत पुत्र दयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 दयाराम पुत्र भीयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
2. महेन्द्र सिह पुत्र दानाराम उर्फ दयाराम जाति नाई निवासी भगूली तहसील नोहर।
3. मन्जू पुत्री दयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
4. पूनम पुत्री दयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
5. सुरस्वती पत्नी भीयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
6. इन्द्रावती पुत्री भीयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
7. ज्यानादेवी पुत्री भीयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
8. मायादेवी पुत्री भीयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
9. सुशीला पुत्री भीयाराम जाति नाई निवासी भगुली तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 199 सन 2022 निर्णय दिनांक– 21/04/2022

आज यह प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पर्चा डिक्री दिनांक 21.04.2022 रोही मौजा भगुली के खाता संख्या 19/24 की कुल 2.590हैक्ट में से 1/4 हिस्सा अंकित है के स्थान पर रोही मौजा भगुली के खाता संख्या 19/24 की कुल 2.9590हैक्ट में से 1/14 हिस्सा संशोधित किया जाता है शेष पर्चा डिक्री यथावत रहेगी व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/5/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with OKEN Scanner